हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

नवम् सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 81

मंगलवार, 8 सितम्बर, 2020/17 भाद्रपद,1942 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

अध्यक्ष द्वारा संबोधन

"मैं कोरोना महामारी के अति गंभीर विषय पर सभी माननीय मंत्रियों एवं माननीय सदस्यों से पुनः अपील करना चाहूंगा कि यदि किसी भी माननीय मंत्री या माननीय सदस्य को तनिक भी शंका है कि उनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं, वे कृपा करके अपने आपको होम क्वारंटाइन कर लें और सदन में उपस्थित न हों। यदि वे आवश्यक समझें तो स्वयं फ़ैसला लेकर एंटिजन या कोरोना टैस्ट करवाने की पहल करें। मेरा सभी से यह भी अनुरोध है कि विधान सभा के अंदर प्रवेश से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग अवश्व करवाएं। आप सभी फेस मास्क का सही इस्तेमाल करें तथा अपने नाक व मुंह को पूरी तरह से ढक कर रखें। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं। हम रोज जनता से संपर्क में रहते हैं। हम उन्हें कोरोना न दें बल्कि जनता को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए प्रेरित करें। हम

जनप्रतिनिधि हैं और जो कोरोना महामारी इस समय विश्व को घेरे हुए है उसके प्रति हमें सबसे अधिक जागरूक रहना चाहिए क्योंकि पूरा हिमाचल प्रदेश हमारी ओर देख रहा है। जैसा आचरण और चाल-चलन हम रखेंगे, जनता भी उसका अनुसरण करेगी। अतः मेरा पुनः निवेदन है कि हैंड सैनिटाइजिंग, थर्मल स्क्रीनिंग तथा सामाजिक दूरी जैसे दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि हम इस 10 दिवसीय सत्र को पूरी निष्ठा तथा जन-अपेक्षा के साथ पूरा करें। मैं देख रहा हूं कि इन बातों का पालन करने में कहीं-न-कहीं कोताही बरती जा रही है। हमने माननीय विधायकों के आसनों के बीच पोलिकार्बोनेट शीट्स लगाई हैं लेकिन साइंटिफिक अनुसंधान के अनुसार जो हमारी स्वाभाविक बोलने की लय है उसी के अनुसार बात करनी चाहिए। अत्यधिक जोर से बोलने से भी वायरस फैलता है। अतः आग्रह है कि कृपया जोर से न बोलें। 'जान है तो जहान है', इसलिए जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं, उनका अक्षरशः पालन करें क्योंकि शुरूआत मुझसे और आपसे सामूहिक रूप से होगी"

माननीय अध्यक्ष ने श्री परमजीत सिंह, सदस्य के कोरोना नेगेटिव होकर सदन में उपस्थित होने पर उनका स्वागत किया।

1. नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर आगे चर्चा

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री सुभाष ठाकुर
2. श्री जगत सिंह नेगी

मुख्य मंत्री ने श्री जगत सिंह नेगी द्वारा अपने भाषण में 'दलाल' शब्द का प्रयोग करने पर आपत्ति की। उन्होंने कहा कि लॉक-डॉन देश भर में National Disaster Management Act के अंतर्गत लागू था जिसका सभी के द्वारा नियमपूर्वक पालन किया गया।

माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री जगत सिंह नेगी के भाषण में आए कुछ असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकाला गया।

3. श्री राकेश पठानिया, वन मंत्री

श्री राकेश पठानिया, वन मंत्री द्वारा चर्चा आरम्भ करते ही पूर्व वक्ता श्री जगत सिंह नेगी सदन से बाहर निकले। संसदीय कार्य मंत्री ने नियमों एवं परंपराओं का हवाला देते हुए इस प्रथा को रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य को अपनी चर्चा समाप्त कर अगले वक्ता की बात अवश्य सुननी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष ने भी सदस्यों से सदन में कागज़ इत्यादि न लहराने तथा ऐसे कागज़ात उनके कक्ष में आकर सौंपने व दूसरे सदस्य द्वारा चर्चा शुरू करने पर उसे सुनने के लिए सदन में उपस्थिति रहने का अनुरोध किया।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु ने श्री राकेश पठानिया, वन मंत्री द्वारा कोरोना महामारी के दौरान विधायकों द्वारा किए गए योगदान के विषय में अपना नाम आने पर स्पष्टीकरण दिया।

4. श्री नन्द लाल
5. श्री अरुण कुमार
6. श्री राजेन्द्र राणा

(01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(माननीय सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त 02.00 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम-67 के अंतर्गत चर्चा जारी-

7. श्री सुख राम, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री
8. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु

मुख्य मंत्री ने कोरोना महामारी को लेकर दिशा-निर्देशों की धज्जियाँ उड़ाने तथा उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) के स्थानांतरण का ज़िक्र आने पर इस बारे में श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु द्वारा तथ्यों से हटकर चर्चा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस किसी ने भी कोई जन-विरोधी कार्य किया है उसे छोड़ा नहीं जाएगा।

श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मंत्री ने श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु द्वारा कामगार बोर्ड की गतिविधियों का ज़िक्र करने से उत्पन्न विषय पर स्पष्टीकरण दिया।

9. श्री सुरेश भारद्वाज, शहरी विकास मंत्री
10. श्री इन्द्र दत्त लखनपाल
11. कर्नल इन्द्र सिंह
12. श्री राजिन्द्र गर्ग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री

13. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
14. श्री किशोरी लाल
15. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
16. श्री जीत राम कटवाल
17. श्री विशाल नैहरिया
18. श्री आशीष बुटेल
19. श्री सुरेन्द्र शौरी

डॉ0 राजीव सैजल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(04.55 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्य उनके सभी सदस्यों को चर्चा में भाग लेने का अवसर न देने पर सदन छोड़कर बाहर चले गए।)

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 05.15 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

(05.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक का समय 05.20 बजे अपराह्न तक बढ़ाया गया।)

2. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 2661 व 2782 (स्थगित) तथा 2905 से 2938 के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 936 व 947(स्थागित) तथा 1072 से 1981 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

05.18 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, 09 सितम्बर, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।